निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-131/2017–18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी आबकारी अधिकारी/ निरीक्षक, बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रभारी आबकारी अधिकारी/ निरीक्षक, बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं एस.एस दरीयाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार मीणा ले.प द्वारा दिनांक 16.01.2018 से 19.01.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः (इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा)** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ....सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक .... से .... तक श्री .... लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह .... से ..... तक एवं व्यय हेतु माह .... से .... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह .... से .... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** –बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ¼: **yk[k esa½**
2014-15	20.70
2015-16	42.50
2016-17	7.00

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15								
2015-16			लागू नहीं					
2016-17								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -C--श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आबकारी सचिव> आबकारी आयुक्त >अपर आबकारी आयुक्त> संयुक्त आबकारी आयुक्त > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी > आबकारी अधिकारी/ निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभारी आबकारी अधिकारी/ निरीक्षक, बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी आबकारी अधिकारी/ निरीक्षक, बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 10/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह .... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN -01

प्रस्तर-1: अर्थदण्ड न लगाये जाने के कारण राजस्व क्षति □ 0.19 लाख।

उत्तर प्रदेश शीरा नियमावली1974 के नियम 32 के अनुसार प्रत्येक चीनी मिल को प्रत्येक माह 01 तारीख से 15 तारीख व 16 तारीख से माह की अंतिम दिनांक तक के अवधि की पाक्षिक रिपोर्ट क्रमश; 16 तारीख व अगले माह की प्रथम तारीख को शीरा नियंत्रक को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। ऐसा न करने पर उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 के धारा 11 अनुसार □ 100 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी चीनी मिल बाजपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक अधिकांश शीरा की पाक्षिक रिपोर्ट एक दिन से सात दिन बिलंब से शीरा नियंत्रक को प्रेषित की गयी थी**(विवरण संलग्न)** । इस प्रकार समस्त पाक्षिक प्रतिवेदन कुल 194 दिन विलंब से प्रेषित किए जाने पर □ 100 प्रतिदिन की दर से □ 19,400 अर्थदण्ड आरोपित किया जाना अपेक्षित था जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

उक्त प्रकरण इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर में “नियमानुसार कार्यवाही करने व भविष्य में इस त्रुटि की पुनरावृति न किए जाने का तथा एक पाक्षिक रिपोर्ट बाद में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक)

बाजपुर शुगर मिल

पाक्षिक रिपोर्ट

पाक्षिक रिपोर्ट की अवधि	प्रेषित करने की निर्धारित दिनाक	प्रेषित करने की वास्तविक दिनाक	विलंब की अवधि
01-04-12 to 15-04-12	16-04-12	18-04-12	2 दिन
16-04-12 to 30-04-12	01-05-12	02-05-12	1 दिन
01-05-12 to 15-05-12	16 –05-12	17-05-12	1 दिन
16-05-12to31-05-12	01-06-12	06-06-12	5 दिन
01-06-12 to 15-06-12	16-06-12	18-06-12	2 दिन
16-06-12 to 30-06-12	01-07-12	05-07-12	4दिन
01-07-12 to15- 07-12	16-07-12	19-7-12	3 दिन
16-07-12 to 31-07-12	01-08-12	04-08-12	3 दिन
01-08-12 to 15-08-12	16-08-12	17-08-12	1 दिन
16-08-12 to 31-08-12	01-09-12	03-09-12	2 दिन
01-09-12 to 15-09-12	16-09-12	18-09-12	2 दिन
16-09-12 to 30-09-12	01-10-12	04-10-12	3 दिन
01-10-12 to 15-10-12	16-10-12	17-10-12	1 दिन
16-10-12 to 31-10-12	01-11-12	02-11-12	1 दिन
01-11-12 to 15-11-12	16-11-12	19-11-12	03 दिन
16-11-12 to 30-11-12	01-12-12	05-12-12	04 दिन
01-12-12 to 15-12-12	16-12-12	18-12-12	2 दिन
16-12-12 to 31-12-12	01-01-13	03-01-13	2 दिन
01-01-13 to 15-01-13	16-01-13	उपलब्ध नही है	
16-01-13 to 31-01-13	10-02-13	04-02-13	3 दिन
01-02-13 to 15-02-13	16-02-13	19-02-13	3 दिन
16-02-13 to 28-02-13	01-03-13	02-03-13	1 दिन
01-03-13 to 15-03-13	16-03-13	16-03-13	-
16-03-13 to 31-03-13	01-04-13	01-04-13	-
01-04-13 to 15-04-13	16-04-13	17-04-13	1 दिन
16-04-13 to 30-04-13	01-05-13	01-05-13	-
01-05-13 to 15-05-13	16-5-13	16-05-13	-

16-05-13 to 31-05-13	01-06-13	10-06-13	-
01-06-13 to 15-06-13	16-06-13	18-06-13	2 दिन
16-06-13 to 30-06-13	01-07-13	02-07-13	1 दिन
01-07-13 to 15-07-13	16-07-13	16-07-13	-
16-07-13 to 31-07-13	01-08-13	01-08-13	-
01-08-13 to 15-08-13	16-08-13	17-08-13	1 दिन
16-08-13 to 31-08-13	01-09-13	03-09-13	2 दिन
01-09-13 to 15-09-13	16-09-13	16-09-13	-
16-09-13 to 30-09-13	01-10-13	03-10-13	2 दिन
01-10-13 to 15-10-13	16-10-13	16-10-13	-
16-10-13 to 31-10-13	01-11-13	01-11-13	-
01-11-13 to 15-11-13	16-11-13	16-11-13	-
16-11-13 to 30-11-13	01-12-13	03-12-13	2 दिन
01-12-13 to 15-12-13	16-12-13	17-12-13	1 दिन
16-12-13 to 31-12-13	01-01-14	2-1-14	1 दिन
01-01-14 to 15-01-14	16-01-14	16-01-14	-
16-01-14 to 31-01-14	01-02-14	03-02-14	2 दिन
01-02-14 to 15-02-14	16-02-14	18-02-14	2 दिन
16-02-14 to 28-02-14	01-03-14	04-03-14	3 दिन
01-03-14 to 15-03-14	16-03-14	19-03-14	3 दिन
16-03-14 to 31-03-14	01-04-14	02-04-14	1 दिन
01-04-14 to 15-04-14	16-04-14	16-04-14	-
16-04-14 to 30-04-14	01-05-14	02-05-14	1 दिन
01-05-14 to 15-05-14	16-05-14	16-05-14	-
16-05-14 to 31-05-14	31-05-14	31-05-14	-
01-06-14 to15-06-14	16-06-14	20-06-14	4 दिन
16-06-14 to 30-06-14	01-07-14	01-07-14	-
01-07-14 to 15-07-14	16-07-14	16-07-14	-
16-07-14 to 31-07-14	01-08-14	02-08-14	1 दिन
01-08-14 to 15-08-14	16-08-14	19-08-14	3 दिन
16-08-14 to 31-08-14	01-09-14	02-09-14	1 दिन
01-09-14 to 15-09-14	16-09-14	18-09-14	2 दिन
16-09-14 to 30-09-14	01-10-14	01-10-14	-
01-10-14 to 15-10-14	16-10-14	16-10-14	-
16-10-14 to 31-10-14	01-11-14	01-11-14	-
01-11-14 to 15-11-14	16-11-14	15-11-14	-
16-11-14 to 30-11-14	01-12-14	04-12-14	3 दिन
10-12-14 to 15-12-14	16-12-14	17-12-14	1 दिन
16-12-14 to 31-12-14	01-01-15	06-01-15	5दिन
01-01-15 to 15-01-15	16-01-15	17-01-15	1 दिन
16-01-15 to 31-01-15	01-02-15	04-02-15	3 दिन
01-02-15 to 15-02-15	16-02-15	16-02-15	-
16-02-15 to 28-02-15	01-03-15	03-03-15	2 दिन
01-03-15 to 15-03-15	16-03-15	18-03-15	2 दिन
16-03-15 to 31-03-15	01-04-15	03-04-15	2 दिन
01-04-15 to 15-04-15	16-04-15	18-04-15	2 दिन
16-04-15 to 30-04-15	01-05-15	01-05-15	-
01-05-15 to 15-05-15	16-05-15	16-05-15	-
16-05-15 to 31-05-15	01-06-15	03-06-15	2 दिन
01-06-15 to 15-06-15	16-06-15	16-06-15	-
16-06-15 to 30-06-15	01-07-15	03-07-15	2 दिन

01-07-15 to 15-07-15	16-07-15	16-07-15	-
16-07-15 to 31-07-15	01-08-15	03-08-15	2 दिन
01-08-15 to 15-08-15	16-08-15	17-08-15	1 दिन
16-08-15 to 31-08-15	01-09-15	01-09-15	-
01-09-15 to 15-09-15	16-09-15	18-09-15	2 दिन
16-09-15 to 30-09-15	01-10-15	05-10-15	4 दिन
01-10-15 to 15-10-15	16-10-15	16-10-15	-
16-10-15 to 31-10-15	01-11-15	03-11-15	2 दिन
01-11-15 to 15-11-15	16-11-15	19-11-15	3 दिन
16-11-15 to 30-11-15	01-12-15	02-12-15	1 दिन
01-12-15 to 15-12-15	16-12-15	17-12-15	1 दिन
16-12-15 to 31-12-15	01-01-16	04-01-16	3 दिन
01-01-16 to 15-01-16	16-01-16	18-01-16	2 दिन
16-01-16 to 31-01-16	01-02-16	03-02-16	2 दिन
01-02-16 to 15-02-16	16-02-16	18-02-16	2 दिन
16-02-16 to 29-02-16	01-03-16	03-03-16	2 दिन
01-03-16 to 15-03-16	16-03-16	18-03-16	2 दिन
16-03-16 to 31-03-16	01-04-16	02-04-16	1 दिन
01-04-16 to 15-04-16	16-04-16	19-04-16	3 दिन
16-04-16 to 30-04-16	01-05-16	04-05-16	3 दिन
01-05-16 to 15-05-16	16-05-16	17-05-16	1 दिन
16-05-16 to 31-05-16	01-06-16	01-06-16	-
01-06-16 to 15-06-16	16-06-16	16-06-16	-
16-06-16 to 30-06-16	01-07-16	02-07-16	1 दिन
01-07-16 to 15-07-16	16-07-16	18-07-16	2 दिन
16-07-16 to 31-07-16	01-08-16	02-08-16	1 दिन
01-08-16 to 15-08-16	16-08-16	22-08-16	6 दिन
16-08-16 to 31-08-16	01-09-16	06-09-16	5 दिन
01-09-16 to 15-09-16	16-09-16	16-9-16	-
16-09-16 to 30-09-16	01-10-16	05-10-16	4 दिन
01-10-16 to 15-10-16	16-10-16	18-10-16	2 दिन
16-10-16 to 31-10-16	01-11-16	04-11-16	3 दिन
01-11-16 to 15-11-16	16-11-16	19-11-16	3 दिन
16-11-16 to 30-11-16	01-12-16	03-12-16	2 दिन
01-12-16 to 15-12-16	16-12-16	17-12-16	1 दिन
16-12-15 to 31-12-16	01-01-17	04-01-17	3 दिन
01-01-17 to 15-01-17	16-01-17	23-01-17	7 दिन
16-01-17 to 31-01-17	01-02-17	06-02-17	5 दिन
01-02-17 to 15-02-17	16-02-17	17-02-17	1 दिन
16-02-17 to 28-02-17	01-03-17	02-03-17	1 दिन
01-03-17 to 15-03-17	16-03-17	16-03-17	-
16-03-17 to 31-03-17	01-04-17	01-04-17	-
		योग	194 दिन

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-1: प्रशासनिक शुल्क कम जमा ☐ 1.18 लाख।

कार्यालय शीरा नियन्त्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः 14632 दिनांक 28.02.2014 के अनुसार शीरा नीति निर्धारण वर्ष 2013-14 व 2014-15 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा को विक्रय किये जाने पर समस्त शीरे पर ` 15 प्रति कुन्तल की दर से प्रशासनिक शुल्क प्रभार देय था।

कार्यालय प्रभारी निरीक्षक, आबकारी, बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28.01.14 एम. एफ.-4 गेट पास नं0 35 से दिनांक 27.02.2014 एम. एफ.-4 गेट पास नं0 74 तक शीरा निकासी मात्रा 29,471.25 कुन्तल की गई, जिस पर प्रशासनिक शुल्क ` 11 प्रति कुन्तल की दर से जमा किया गया, जबकि उपरोक्त आदेश के अनुसार वर्ष 2013-14 हेतु प्रशासनिक शुल्क ` 15 देय है। इस प्रकार, 29,471.25 कुन्तल शीरे की निकासी पर अन्तरीय दर ` 4 (` 15 - ` 11) से ` 1,17,885 प्रशासनिक शुल्क आरोपणीय है जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पत्र सं0 13469 आबकारी आयुक्त दिनांक 25.01.2014 से लेवी एवं फ्री शीरा पर प्रशासनिक शुल्क ` 11 की दर से प्रभार है। तत्पश्चात् 28 फरवरी, 2014 से नई शीरा नीति लागू होने पर सभी शीरे पर प्रशासनिक शुल्क ` 15 प्रति कुन्तल देय है। पत्र सं0 13469 दिनांक 25.01.2014 के आदेश की प्रति प्रेषित कर दी जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई पत्र सं0 13469 दिनांक 25.01.2014 जिसमें प्रशासनिक शुल्क ` 11 प्रति कुन्तल देय है, के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध न करा सका।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 : शासनादेशानुसार बिभागीय अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थकार्यालयों का आवधिक निरीक्षण न किया जाना।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासनादेश सं 02/स.का.कि./2008 दिनाँक जनवरी 20, 2009 के अनुसार बिभागीय अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों /कर्मचारियों /बिभागों के निर्धारित निरीक्षण मासिक, त्रेमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक निरीक्षण किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। यह कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उधम सिंह नगर का अधीनस्थ कार्यालय है, इस कार्यालय का आवधिक निरीक्षण जिला आबकारी अधिकारी, उधम सिंह नगर द्वारा किया जाना अपेक्षित था। लेखा परीक्षा के दौरान निरीक्षण पत्रावलियों की जांच में पाया कि बिगत 05 वर्षो में मात्र एक बार दिनाँक 04/02/2014 को तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था, तत्पश्चात लेखा परीक्षा तिथि तक इस कार्यालय का जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

इसे इंगित करने पर प्रभारी आबकारी अधिकारी ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये बताया कि *"आवधिक निरीक्षण के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा"।*

इकाई की आख्या से स्पष्ट है कि उल्लिखित शासनादेशानुसार बिभागीय अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। अतः शासनादेशानुसार बिभागीय अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	लागू नहीं		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**
(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य – टिप्पणी शून्य**

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभारी आबकारी अधिकारी/ निरीक्षक, बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
   शून्य टिप्पणी
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री आदित्य राम	प्रभारी अधिकारी, आबकारी
(ii)	श्री अजय कुमार	प्रभारी अधिकारी, आबकारी
(iii)	श्री विरेन्द्र जोशी	प्रभारी अधिकारी, आबकारी
(iv)	श्री उमेश पाल	प्रभारी अधिकारी, आबकारी
(v)	श्री नारायण सिंह मतौलिया	प्रभारी अधिकारी, आबकारी

(vi)	श्री पन्ना लाल	प्रभारी अधिकारी, आबकारी
(vii)	श्री उमेश पाल	प्रभारी अधिकारी, आबकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी आबकारी अधिकारी/ निरीक्षक बाजपुर शुगर मिल, बाजपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र